कम जमीन पर बन सकेंगे अस्पताल बेसमेंट में डायग्नोस्टिक सेंटर

मानकों में ढील से स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 हजार करोड़ के निवेश का अनुमान

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : नए सिरे से तैयार की गई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 से सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं के और बेहतर होने की उम्मीद है। प्रस्तावित उपविधि के लागू होने पर 20 हजार के बजाय तीन हजार वर्गमीटर जमीन पर ही बड़ा अस्पताल बनाया जा सकेगा। 12 मीटर तक चौड़ी सड़क पर अस्पताल और 50 बेड वाला नर्सिंग होम बनाने की अनुमति होगी।

बिना बेड के मेडिकल प्रतिष्ठानों के लिए तो 100 वर्गमीटर का भूखंड ही पर्याप्त होगा। अभी न्यूनतम 300 वर्गमीटर का भूखंड होने की अनिवार्यता है। डायग्नोस्टिक सेंटर को बेसमेंट में भी बनाया जा सकेगा। राज्य सरकार का मानना है कि भवन निर्माण के मानकों में ढील देने वाली इन सहूलियतों से स्वास्थ्य क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये तक का निजी निवेश हो सकता है।

सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी क्षेत्र के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 17 वर्ष से लागू भवन निर्माण संबंधी कड़े मानकों में व्यापक बदलाव कर उन्हें बेहद व्यावहारिक बनाया है। महंगी जमीन होने के साथ ही चूंकि शहरी क्षेत्र में बड़े अस्पताल के लिए एक साथ 20 हजार वर्गमीटर का भूखंड मिलना आसान नहीं है इसलिए अब तक ज्यादा अस्पताल नहीं खुल पा रहे थे। अब इसके मात्र 15 प्रतिशत यानी तीन हजार वर्गमीटर पर ही बड़ा अस्पताल बनाया जा सकेगा। अभी 10 बेड के ही नर्सिंग होम की अनुमन्यता है लेकिन नई उपविधि में 50 बेड वाले नर्सिंग होम का निर्माण संभव होगा। अभी 18 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अस्पताल आदि नहीं बनाया जा सकता है लेकिन अब नौ से 12 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बनाए जा सकेंगे। फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर), ग्राउंड कवरेज, भवन की ऊंचाई व सेटबैक संबंधी मानकों में बदलाव से कहीं ज्यादा निर्माण किया जा सकेगा। एंबुलेंस के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था होगी। गौर करने की बात यह है कि बेसमेंट का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। बेसमेंट में शौचालय भी बनाया जा सकेगा।

- **भवन उपविधि-2025 से अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वालों को मिलेगी बड़ी राहत**
- **100 वर्गमी. में बिना बेड का और तीन हजार वर्गमी. में बनाया जा सकेगा बड़ा अस्पताल**
- **50 बिस्तर के बनाए जा सकेंगे नर्सिंग होम, 12 मीटर चौड़ी सड़क पर ही बनाने जा सकेंगे**